आदेश

जैसा कि विदित है कोविड–19 कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा एक माह (30 जून) तक के लिए Phased Re-opening (Unlock 1) के दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसलिए जनहित में दिनांक 01.06.2020 से 30.06.2020 तक जिला नूहं में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतू प्रत्येक थाना स्तर पर डयूटी मैजिस्ट्रेट लगायें जाने अति आवश्यक हैं।

मैं, पंकज, भा0प्र0से0, जिलाधीश, नूहं दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 22(I), 23(II) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुऐ COVID-19 (नोवल कोरोना वायरस) महामारी की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए दिनांक 01.06.2020 से 30.06.2020 तक Phased Re-opening (Unlock 1) के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतू निम्न प्रकार से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करता हूँ :–

क्र0सं0	नाम डयूटी मैजिस्ट्रेट	पुलिस स्टेशन का नाम
1	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, इण्डरी	रोजकामेव
2	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूहं	नूहं सदर
3	नायब तहसीलदार, नूहं	नूहं शहर
4	नायब तहसीलदार, तावडू	तावडू शहर
5	तहसीलदार, तावडू	तावडू सदर
6	नायब तहसीलदार, फिरोजपुर झिरका	फिरोजपुर झिरका
7	नायब तहसीलदार, पुन्हाना	बिछोर
8	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पुन्हाना	पुन्हाना/पिनगवां
9	खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, फिरोजपुर झिरका	नगीना

ड्यूटी मैजिस्ट्रेट Code of Criminal Procedure 1973 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करेंगें व पूर्णतः ध्यान रखेंगें कि इस अवसर पर किसी भी किस्म की अप्रिय घटना ना घटने पाये। उक्त कार्य के दौरान किसी भी नियम/न्यायालय के आदेशों की अवहेलना ना हो। पुलिस अधीक्षक, नूहं डयूटी मैजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी मय महिला पुलिस नियुक्त करेंगें। इसके साथ–साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग के पत्र कमांक 3/01/2016–I.एच.सी. दिनांक 01.02.2018 के अनुसार डयूटी मैजिस्ट्रेट को एक निजी सुरक्षा अधिकारी भी उपलब्ध करवाया जावे।

सभी उप मण्डल मैजिस्ट्रेट अपने अपने उप मण्डल में ऑवर आल इन्चार्ज होंगे।

जिलाधीश, नूहं।
1/6

पृ0 कमांक– 698 /एम0बी0 दिनांक 01.06.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. पुलिस अधीक्षक, नूहं।
2. अतिरिक्त जिलाधीश नूंह।
3. उप मण्डल मैजिस्ट्रेट, नूहं/फिरोजपुर झिरका/पुन्हाना/तावडू।
4. जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी नूंह।
5. सिविल सर्जन नूंह एट माण्डीखेडा।
6. जिला सूचना एंव लोक सम्पर्क अधिकारी नूंह।
7. सभी सम्बन्धित ड्यूटी मैजिस्ट्रेट।

जिलाधीश, नूहं।

Scanned with CamScanner